

भवन को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए आदेश हुआ है। वर्तमान में जो न्यायालय है, वहीं उसके पास कलेक्टर ऑफिस है और वहीं पर कमिश्नर का कार्यालय भी है। गांव से जो लोग अपनी पेशी के लिए आते हैं, उनको एक ही जगह सस्ता न्याय मिल जाता है और उनको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यायालय को बहुत दूर स्थानांतरित कर दिए जाने से जनता को अलग-अलग जगह जाने में कठिनाई होगी। जहां तक विकल्प का सवाल है, वर्तमान में जो न्यायालय चल रहा है, वहां पर शासकीय ज़मीन है, उसके अंदर नया भवन बनाया जा सकता है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री प्रभात झा** (मध्य प्रदेश): वहां पर इन्हीं की सरकार है। ...**(व्यवधान)**....

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...**(Interruptions)**... He is just making a request. He is not levelling any allegation. आप आगे बढ़िए।

**श्री राजमणि पटेल:** यह आरोप का सवाल नहीं है। यह जनता के न्याय का सवाल है। जनता को कैसे सस्ता न्याय और सुविधा मिले? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि वहां पर वर्तमान में विकल्प है, वहां पर सरकारी ज़मीन भी उपलब्ध है, तो वहां पर न्यायालय भवन बनाया जा सकता है। वहां कमिश्नर और कलेक्टर दोनों के कार्यालय हैं, ताकि जनता को सामाजिक न्याय एक जगह मिल सके और यही सरकार की मंशा भी है।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और जहां पहले से ही न्यायालय भवन है, वहीं पर दूसरा न्यायालय भवन बनाया जाए।

**श्री सभापति:** धन्यवाद। डा. विकास महात्मे।

#### **Death of workers cleaning septic tanks**

**डा. विकास महात्मे** (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, हाल ही में सेप्टिक टैंक में सात लोगों की जान चली जाने की खबर आई थी। सर, यह काफी सारी स्टेट्स में continuously होता रहता है और यह जानकर बहुत पीड़ा होती है कि आज 2019 में भी यह चीज़ हो रही है। इसमें एक-दो जातियां ही हैं, जो बहुत पिछड़ी हुई हैं, वे ही यह काम करती हैं, जिसे हम manual scavenging कहते हैं। यह कानूनन अपराध है कि आदमी खुद सेप्टिक टैंक में उतरकर उसे साफ करे या जो भी सीवेज लाइन है, उसको साफ करे। उसके लिए कुछ क़ानूनी नियम बने हुए हैं, वे follow नहीं होते हैं। सर, जान की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो भी क़ानून बने हुए हैं, उनको कार्यान्वित करना बहुत ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार मैं यह भी चाहता हूँ कि जिस तरह से यह काम उपकरणों द्वारा बाकी देशों में होता है, उसी तरह अपने देश में भी उसके लिए उपकरण यूज़ किए जाएं, ताकि उन उपकरणों के इस्तेमाल से जान का खतरा न हो। जो लोग यह सफ़ाई का काम करते हैं, उन्हें सामाजिक तौर पर नीचा देखा जाता है और जो social stigma है, वह भी इससे नहीं रहेगा।

महोदय, मेरा यह कहना है कि जब accidents होते हैं और पुलिस में इसकी एफआईआर होती है, तो वे लोग उसको accidental death रिपोर्ट करते हैं। उसकी जगह यदि सेप्टिक टैंक में death हुई है, ऐसी रिपोर्ट आती है, तो उसे ज्यादा मुआवज़ा मिलता है, क्योंकि यह एक अलग

प्रकार का काम है, जिसे सरकारी कानून से ज्यादा मुआवज़ा मिलता है। इसके लिए एफआईआर में death in septic tanks' ऐसी रिपोर्ट होना ज़रूरी है और जो भी manual scavengers के कानून हैं, उसे कार्यान्वित या इम्प्लीमेंट करना सरकार की तरफ से बहुत ज़रूरी लगता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि equipments से साफ-सफाई का काम होना चाहिए और manual scavenging बंद होनी चाहिए।

**श्री सभापति:** जिन लोगों ने समर्थन में हाथ उठाए हैं, वे कृपया स्लिप भेज दें। All these names have to be included as associated.

SHRI RAMKUMAR VERMA (Rajasthan): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI SAMPATIYA UIKEY (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI SAROJINI HEMBRAM (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI ROOPA GANGULY (Nominated): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. L. HANUMANTHAIAH (Karnataka): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K.G. KENYE (Nagaland): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SANJAY SINGH (NCT of Delhi): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA (NCT of Delhi): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI NARAIN DASS GUPTA (NCT of Delhi): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ASHOK SIDDHARTH (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (Assam): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI VINAY DINU TENDULKAR (Goa): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI SHAMSHER SINGH MANHAS (Jammu and Kashmir): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI JAVED ALI KHAN (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI RAVI PRAKASH VERMA (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Mahesh Poddar; not here. Next, Shri Prasanna Acharya.

#### **Rebate on the sale of handloom products**

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, this is regarding the plight of the weavers of the country, particularly of Odisha. Sir, as you know, next to agriculture, it is the handloom sector in the rural areas which provides maximum opportunities for employment. In the Western region of Odisha, the tie-and-dye fabric which is handwoven is very famous. What is happening of late is that this design is being copied by the people against the GI Rules. It is printed in factories in large numbers